भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1944
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 04 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल पारितंत्र बनाना

1944. श्री राजीव चन्द्रशेखर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन 2030 तक सभी नई कारों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संबद्ध निवेश, विनियामक परिवर्तनों, नवाचारी वित्तीयन तथा साझेदारी के लिए, जो उस आनुपातिक मात्रा को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होगा, अनुकूल पारितंत्र बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

1. वर्तमान में, सभी नई कारों को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन नहीं है।

2. तथापि, सरकार ने विद्युत वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) के लिए एक मिशन प्लान नामतः नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी 2020) तैयार किया है। एनईएमएमपी 2020 में विभिन्न क्रमिक उपायों के माध्यम से विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा दी गई है ताकि बैटरी प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान एवं विकास में सहायता दी जा सके, ऐसे वाहनों के लिए मांग सृजित की जा सके और वर्ष 2020 तक ऐसे वाहनों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की जा सके।

3. इस मिशन के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी फेम-इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] अधिसूचित की है। इस स्कीम को वर्ष 2020 तक 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और इस निर्धारित अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड/विद्युत वाहनों के बाजार विकास तथा इसके विनिर्माण संबंधी पारिस्थितिकी-तंत्र को सहायता देना अभिप्रेत है। वर्तमान में, इस स्कीम का चरण-I कार्यान्वयनाधीन है, जो मूल रूप से 31 मार्च, 2017 तक की 02 वर्ष की अवधि के लिए था किन्तु इसे आगे 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम 04 फोकस क्षेत्रों नामतः प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास); प्रायोगिक परियोजना; चार्जिंग अवसंरचना और मांग सृजन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

4. मांग प्रोत्साहन के जरिए बाजार सृजन का लक्ष्य, वाहन के सभी सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। मांग सृजन के फोकस क्षेत्र के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के क्रेता को डीलर द्वारा खरीद मूल्य में एक्सईवी की खरीद के समय शुरुआती कटौती उपलब्ध कराई जाती है। हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए स्कीम के अंतर्गत अनुमत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम-इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 पर दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग फोकस क्षेत्रों नामतः प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास); प्रायोगिक परियोजनाएं; चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

5. मांग को और अधिक बढ़ाने के लिए, विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के एक संयुक्त उद्यम, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है और चरण-I में 400 इलेक्ट्रिक कारों के लिए मै. टाटा मोटर्स (250 कारों) और मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड (150 कारों) को एलओए जारी किया है।

6. इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य का आकलन करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए हैं:-

(क) एसी2एसजी के साथ नीति आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए शीघ्र प्रयोग किए जाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है।

(ख) नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट (आरएमआई) ने 12 मई, 2017 को संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट "इंडिया लीप्स अहेड: ट्रांसफोरमेटिव मोबिलिटी साल्यूशंस फॉर ऑल" प्रकाशित की है।

(ग) नीति आयोग और आरएमआई ने 22 नवंबर, 2017 को नीति का सार जारी किया है:-

(i) इंडिया एनर्जी स्टोरेज मिशन: वैश्विक प्रतिस्पर्धी बैटरी विनिर्माण के लिए मेक इन इंडिया का एक अवसर।

(ii) वेल्युइंग सोसाइटी फर्स्ट: भारत में एक फीबेट (शुल्क प्रभार और छूट) नीति के लिए क्षमता का आकलन।

******